

कारण वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार
प्रवाली दि 28/11/22

28/11/2022

धारा 133 के अन्तर्गत वकील को अपने क्लॉक ऑफिस में तीन-तीन बार आवेगें करावै जावे के अंतर्गत 0-9, R-3 जाता हुआ के तहत प्रमाण की जाकर अबु ने नम होकर वासील (प्रकार से) विषय सुले अखालय में सुनावा जाकर मेरे हस्ताक्षर व अखालय मुद्रा से जारी किया गया।

